सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 285 राँची ,मंगलवार 10 आषाढ़ 1936 (श०)

1 जुलाई, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

25 जून, 2014

1. उपायुक्त, खूँटी का पत्रांक-234/रा0, दिनांक 03.06.2010 एवं पत्रांक-78/रा0, दिनांक 15.03.2014

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का अधिसूचना सं0-3419, दिनांक 09.06.2010, संकल्प सं0-3517, दिनांक 14.06.2010, आदेश सं0-12682, दिनांक 12.11.2012 एवं संकल्प सं0-12681, दिनांक 12.11.2012

3. श्री श्याम सुन्दर प्रसाद, से0नि0 भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा पत्रांक-76, दिनांक 15.04.2013

संख्या-5/आरोप-1-439/2014 का.-6484--श्रीमती नमिता नलिनी बाखला (मिंज) (कोटि क्रमांक-776/03, गृह जिला-राँची), तदेन अंचलाधिकारी, तोरपा, खूँटी के पद पर कार्यावधि से उपायुक्त, खूँटी के पत्रांक-234/रा0, दिनांक 3 जून, 2010 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप प्रतिवेदित है।

प्रपत्र- 'क' में इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गये हैं:-

1. जिला अध्यक्ष, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, खूँटी द्वारा प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय, तोरपा में दिनांक 17 मार्च, 2010 को धरना प्रदर्शन, तालाबंदी करने के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, खूँटी द्वारा उनके पत्रांक-229;(ii), दिनांक 20 मार्च, 2010 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अंचलाधिकारी, तोरपा माह फरवरी, 2010 में एक दिन के बाद मार्च में दिनांक 12 मार्च, 2010 को ही कार्यालय में उपस्थित रही हैं, जिससे अंचल कार्यालय से सम्बन्धित कार्य नहीं होने से वहाँ के ग्रामीणों में रोष है। श्रीमती बाखला बिना पूर्व सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित पाई गई। उनके द्वारा छुट्टी से सम्बन्धित कोई आवेदन या अनुमति उच्च अधिकारी से नहीं ली गई है।

2. पत्रांक-315/गो0, दिनांक 17 मार्च, 2010 द्वारा श्रीमती बाखला को उनके कार्यकलाप में सुधार लाने हेतु चेतावनी दी गई है तथा अनुपस्थिति संबंधी कारण पृच्छा की गई है, जो अब तक उन्होंने उपलब्ध नहीं कराया है तथा उनके कार्यकलाप में अभी भी कोई सुधार नहीं आया है।

3. पत्रांक-318/गो0, दिनांक 18 मार्च, 2010 द्वारा कार्यहित एवं जनहित में श्रीमती बाखला अंचल अधिकारी, तोरपा के अंचल के कार्यों का सभी प्रकार की वित्तीय शक्तियाँ जब्त की गई है तथा श्री जयदीप तिग्गा, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तोरपा को कोषागार संहिता के नियम-148 के तहत् तोरपा अंचल के कार्यों को करने हेतु वित्तीय शक्ति प्रदत्त की गई है।

4. दिनांक 14 अप्रैल, 2010 को श्री शिव बंसत, महानिदेशक, श्रीकृष्ण लोक प्रशिक्षण सस्थान, राँची के तोरपा प्रखण्ड के भ्रमण के समय भी श्रीमती बाखला प्रखण्ड मुख्यालय से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित थीं। फलस्वरूप अंचल की स्थिति की जानकारी नहीं ली जा सकी।

5. दिनांक 19 अप्रैल, 2010 को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा विकास योजनाओं की राज्य स्तरीय समीक्षा के बाद खूँटी जिला मुख्यालय में 21 अप्रैल, 2010 को प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों तथा जिला स्तरीय पदाधिकारियों के लिए आहूत बैठक में भी श्रीमती बाखला अनुपस्थित पायी गयी। मोबाईल पर संपर्क करने पर मोबाईल स्वीच ऑफ मिला। फलस्वरूप तोरपा अंचल की निरीक्षण नहीं की जा सकी।

6. विगत विधानसभा निर्वाचन के समय दिनांक 30 नवम्बर, 2009 को श्रीमती बाखला को सामग्री वितरण हेतु मतदान कर्मियों के लिये बैठने की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी दी गयी थी। परन्तु वे बिना कार्य पूर्ण किये तथा बिना किसी को सूचित किये संध्या के समय राँची चली गयीं, फलस्वरूप निर्वाचन कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ।

उपर्युक्त आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0-3419, दिनांक 9 जून, 2010 द्वारा श्रीमती बाखला को निलम्बित किया गया एवं विभागीय संकल्प सं0-3517, दिनांक 14 जून, 2010 द्वारा विभागीय

कार्यवाही संचालित करने हेतु निर्णय लिया गया एवं श्री राधेश्याम पोद्दार, भा0प्र0से0, तत्कालीन प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

विभागीय पत्रांक-1111, दिनांक 3 मार्च, 2011 द्वारा श्रीमती बाखला से उपर्युक्त आरोपों पर स्पष्टीकरण की माँग की गई। तत्पश्चात् श्रीमती बाखला ने अपने पत्र, दिनांक 3 अक्टूबर, 2012 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया एवं निलम्बन से मुक्त करने का अनुरोध किया। श्रीमती बाखला से प्राप्त आवदेन के समीक्षोपरान्त विभागीय आदेश सं0-12682, दिनांक 12 नवम्बर, 2012 द्वारा इन्हें निलम्बन मुक्त किया गया।

विभागीय संकल्प सं0-12681, दिनांक 12 नवम्बर, 2012 द्वारा श्री राधेश्याम पोद्दार, भा0प्र0से0 के स्थान पर श्री श्याम सुन्दर प्रसाद, से0नि0 भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी को श्रीमती बाखला के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री श्याम सुन्दर प्रसाद, से0नि0 भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा पत्रांक-76, दिनांक 15 अप्रैल, 2013 द्वारा जाँच-प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्रीमती बाखला को आरोप मुक्त किये जाने का मंतव्य गठित किया।

विभागीय पत्रांक-4572, दिनांक 28 मई, 2013 द्वारा उपर्युक्त जाँच प्रतिवेदन पर उपायुक्त, खूँटी से मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। उपायुक्त, खूँटी द्वारा पत्रांक-78/रा0, दिनांक 15 मार्च, 2014 द्वारा श्रीमती बाखला को उनके विरूद्ध लगाये गये आरोपों से मुक्त करने की अनुशंसा की गई।

श्रीमती बाखला के विरूद्ध प्राप्त आरोप, इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन तथा इस पर उपायुक्त, खूँटी के मंतव्य की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त आरोपी पदाधिकारी को संदेह का लाभ देते हुए भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी देते हुए आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रमोद कुमार तिवारी,

सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 285–50 ।